

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

निविदा सूचना

क्र./वाहन/न.नि./2025/ 442

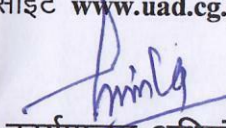
भिलाई, दिनांक 07/07/2025

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की ओर से निर्मात्री संस्थान/अधिकृत संधारणकर्ता/स्थानीय संधारकर्ता से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन नियत तिथि को सायं 5.30 बजे तक इस कार्यालय में आवेदन के साथ निर्धारित राशि नगद जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

1. निविदा जारी करने की तिथि – दिनांक 07/07/2025
2. आवेदन की अंतिम तिथि – दिनांक 28/07/2025 सायं 5.30 बजे तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि – दिनांक 31/07/2025 सायं 5.30 बजे तक
4. निविदा खोले जाने की तिथि – दिनांक 01/08/2025

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (रुपये में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	फार्म
1	वाहन क्र. CG07/NA/2041 (जे.सी.बी.) का संधारण कार्य।	2,48,700.00	2500.00	750.00	30 दिन	फार्म – बी

नियम एवं शर्त :- (1) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (2) निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से वाहन शाखा, भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पास, कोसा नगर, भिलाई 490020 में स्वीकार किये जावेंगे। (3) धरोहर राशि एफ.डी.आर. के रूप में कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित एजेंसी/संधारणकर्ता के नाम से किसी शासकिय बैंक से जारी/ जमा करना होगा तथा जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं पेनकार्ड की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। (4) सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। (5) समस्त कर सहित दरें 1 जाब में प्रस्तुत करना होगा। (6) यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा। (7) न्यूनतम दरे आयटम दर में स्वीकार की जावेगी। (8) वाहन का संधारण वाहन शाखा के वर्कशॉप में वाहन शाखा के कर्मचारी के समक्ष करना होगा। वाहन को अन्यत्र स्थान पर संधारित करना मना है। (9) निविदा में उल्लेखित सामान प्रकृति के वाहनों का संधारण शासकीय संस्थान/निगम/मंडल का अनुभव आवश्यक है। (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें) (10) निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि ऐसा कोई तथ्य उत्पन्न होता है, जिसका संबंध संबंधित कार्य से है तो इसका निराकरण का अधिकार आयुक्त/कार्यपालन अभियंता (वाहन) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। (11) अन्य नियम शर्तों एवं मापदण्ड की जानकारी कार्यपालन अभियंता (वाहन) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाइट www.bhilainagarnigam.com संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.com एवं चिप्स की वेबसाइट eproc.cgstate.gov.in से देखी जा सकती है।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम,
भिलाई